न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 96/2022 बउनवानी दीपक किराड बनाम लो.सू.अधि.एवं अति.जिला कलेक्टर,स0मा0 ग्राम व पोस्ट बपुई तहसील बौंली हाल तह0 मित्रपुरा

GCMS No- 2022/156 **On line Appeal No. 32154040781681**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
19.10.2022	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 11.8.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

1. काश्तकार कैलाशचन्द पुत्र मूलचन्द जाति खटीक ग्राम व पोस्ट बपुई तहसील बौंली नवीन तहसील मित्रपुरा को वर्तमान ख0न0 1858 एवं ख0न0 पुराना 1081/1 दिनांक 27.5.1989 को आवंटित हुआ था। आवंटन आदेश दिनांक 27.5.1985 की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस क्रमांकःएफ.3()सू.का.अ./2022/1031 दिनांक 13.9.2022 की ओर ध्यान आकर्षित कर अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना तृतीय पक्ष की होने के कारण अधिनियम की धारा 11 मे निहित प्रावधानानुसार देय नही होने के कारण अपीलान्ट का आवेदन पत्र दिनांक 16.8.2022 को निरस्त किया जाकर अपीलान्ट को सूचित किया जा चुका है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 11.8.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 मे चाही गयी सूचना तृतीय पक्ष की मानते हुए अधिनियम की धारा 11 के निहित प्रावधानानुसार उपलब्ध नही करवायी गयी है। किन्तु लोक सूचना अधिकारी द्वारा इस तथ्य पर विचार नही किया कि अपीलान्ट आवंटी केलाशचन्द का पुत्र है तो उसके द्वारा चाही गयी सूचना तृतीय पक्ष की कैसे हो सकती है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट को वांछित सूचना 7 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:38:22 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर